प्रेस नोट दिनांक – 03.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं धमकी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा विवाह से इंकार करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, का0 विशाल मौर्य एवं रि0का0 आर्यन गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत दुष्कर्म एवं धमकी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-128/2026 धारा 376, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त अरविन्द पाल पुत्र बुधई पाल उर्फ राम आसरे निवासी ग्राम कुढ़ा, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मझिलगांव बाईपास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को उसके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, का0 विशाल मौर्य एवं रि0का0 आर्यन गुप्ता शामिल रहे।

प्रतापगढ़ पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट एवं दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण/निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम निरीक्षक गिरजाशंकर यादव, रि0आ0 सुधांशु यादव, म0का0 शीला यादव एवं म0आ0 प्रियंका यादव द्वारा महिला थाना पर पंजीकृत गंभीर अपराध के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

महिला थाना प्रतापगढ़ पर पंजीकृत धारा 115(2), 351(3), 64(1) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 67-बी आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त विजय प्रकाश पुत्र लाल बहादुर बेनवंशी निवासी ग्राम गौरा सैफाबाद, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर भगवा चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक ओप्पो कम्पनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसके संबंध में आरोप है कि उक्त मोबाइल के माध्यम से पीड़िता के अश्लील फोटो/सामग्री प्रसारित की गई थी। बरामद मोबाइल फोन को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया गया है। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
निरीक्षक गिरजाशंकर यादव, रि0आ0 सुधांशु यादव, म0का0 शीला यादव एवं म0आ0 प्रियंका यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति संवेदनशील है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।

<u>थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़</u>
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस उ0नि0 अंकित सिंह एवं रि0का0 अजीत यादव द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-38/2026 धारा 319(2), 337, 61(2) बीएनएस एवं 7, 8, 13(3), 13(4) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 से संबंधित अभियुक्त सत्यम सोनकर पुत्र हरिकेश सोनकर, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम काजीपुर गुलाम जाफर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर ताजपुर चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसने हाईस्कूल परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति जयप्रकाश मिश्रा उर्फ शिव प्रकाश मिश्रा पुत्र नानबाबू मिश्रा निवासी शहजादपुर, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी को परीक्षा में बैठाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सत्यम सोनकर पुत्र हरिकेश सोनकर, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम काजीपुर गुलाम जाफर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 अंकित सिंह एवं रि0का0 अजीत यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परीक्षा संबंधी अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।

<u>थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।</u>

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 शंहशाह खान मय हमराह हे0कां0 महेश कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस0नं0 247/2020 मु0अ0सं0 194/1999 धारा 279, 304ए भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त छोटू फकीर पुत्र सहबान खान निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
छोटू फकीर पुत्र सहबान खान निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 शंहशाह खान मय हमराह हे0कां0 महेश कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।</u>

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत तरौल पुरेचैन से काली थान जाने वाले रास्ते मे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री

अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 देवनारायण व रि0का० झुनझुन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पक्सो एक्ट थाना मान्धाता से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त ज्ञानचन्द्र उर्फ जानू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सेवइत सरैया थाना सोरावं जनपद प्रयागराज को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत तरौल पुरै चैन से काली थान जाने वाले रास्ते मे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
ज्ञानचन्द्र उर्फ जानू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सेवइत सरैया थाना सोरावं जनपद प्रयागराज

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 देवनारायण व रि0का० झुनझुन यादव थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़</u>
थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का शत्रुघ्न यादव, रि0का0 उपेन्द्र कन्नौजिया, रि0का0 आकाश मिश्रा व रि0का0 रोहित यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर एसटी0नं0 2144/2012 मु0अ0सं0 26/2001 धारा 504, 506, 427 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त 1.सीताराम पुत्र राम आनन्द निवासी ग्राम भवरी राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतागढ़ 2. हरिकेश बहादुर पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम भवरी राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सीताराम पुत्र राम आनन्द निवासी ग्राम भवरी राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतागढ़
2. हरिकेश बहादुर पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम भवरी राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का शत्रुघ्न यादव, रि0का0 उपेन्द्र कन्नौजिया, रि0का0 आकाश मिश्रा व रि0का0 रोहित यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़</u>
टेलीग्राम चैनल के माध्यम से CSEAM सामग्री के अवैध प्रसार/बिक्री में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस निरीक्षक क्राइम संजय कुमार सिंह मय हमराह प्रदीप कुमार द्वारा गंभीर साइबर/पॉक्सो संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्राप्त शिकायत के आधार पर टेलीग्राम चैनल/ग्रुप @BEASTZOD BGMI Telegram के माध्यम से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज सामग्री (CSEAM) के अवैध प्रसार/बिक्री में संलिप्त अभियुक्त आदर्श यादव पुत्र अनुज यादव निवासी खीचर का पुरवा भदरी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-181/2026 धारा 67(B) आईटी एक्ट एवं 14/15 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त को मुखबिर/तकनीकी सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा बरामद डिजिटल उपकरणों को सील कर विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस साइबर अपराध, बाल संरक्षण एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
निरीक्षक क्राइम संजय कुमार सिंह मय हमराह प्रदीप कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

<u>थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा “जमीन पर कब्जा करने व मारपीट” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त रामकृष्ण दुबे उर्फ पंडित दुबे को थाना क्षेत्रान्तर्गत मोठीन ब्रह्मचारी का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 31.05.2026 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे पितम्बर मजरे मोठिन में विपक्षीगणों द्वारा वादिनी के मकान को गिराने तथा विरोध करने पर परिजनों को लाठी-डंडा से मारपीट के प्रकरण में

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 183/26 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का0 धर्मेन्द्र चौधरी, रि0का0 दीपक कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 183/26 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4), 119(1) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामकृष्ण दुबे उर्फ पंडित दुबे पुत्र रामनिहोर नि0 ग्रा ग्राम पूरे भुवन मोठीन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत मोठीन ब्रह्मचारी का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 119(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामकृष्ण दुबे उर्फ पंडित दुबे पुत्र रामनिहोर नि0 ग्रा ग्राम पूरे भुवन मोठीन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का0 धर्मेन्द्र चौधरी, रि0का0 दीपक कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।</u>
थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 67/2015 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त मोहनलाल चौरसिया पुत्र मातादीन चौरसिया निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- मोहनलाल चौरसिया पुत्र मातादीन चौरसिया निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।